्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नारत सरकार का एक विधिक संस्थान) उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1588/ \&>

ORDER

By Reyal, Post/Spend Post

2.5 MAY 2005

Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 245101 submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for <u>B.Ed. course</u> of one Year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

- Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act. 1993, the Regional Committee hereby grant recognition to Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Hapur, Dist. Ghaziabad (UP) 245101 for an annual intake of 100 seats (One Hundred only) in B.Ed. course of One year duration with effect from 21th May 2005 subject to compliance of the following conditions before the commencement of the academic session.
 - (a) Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session,
 - (b) The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session.
 - (c) The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
 - (d) The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
 - That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff who created within one month from the date of issue of this order and maintained in the Sform of FDR in favour of the management institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Benth (1987).

 Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.
- 3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.
- 4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

Contd.2...

कार्यालय : ए—48, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर—302004 (यजस्थान) कार्यक्षेत्र : एक्स प्रदेव एक्क्पेयल, दिल्ली, इतियन्त, प्रकार, प्रमाण, विनायन प्रदेश एकस्थन

Phone No.: 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office: A-48. Steel Path Tilak Hang Ulabur-302004 (Rajasth Jurisdiction: U.P. Harrinal Bar Hayers Furjab, Changan, H.P., Raja:

-mall : ncletoral nic in

Wabelle :-http://www.ncle-i

The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.

If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the 28-11 Act. Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.

By Order,

Regional Directi

The Manager, Government of India, Department of Publications, (Gazette Section), Civil Lines, Dellii - 111X154

Copy to:

The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi 1.

2. The Education Secretary, Govt. of U.P., Secretariat, Lucknow (U.P.)

3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher, Education, Government

4. The Registrar, C.C.S. University, Meerut, U.P. - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. Incase the institution is not found to have complied with the said requirements; the concerned department shall with hold the affiliation and report the same

5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing

Bahadur Shah Zafar Marg (Near ITO), New Delhi - 110 002

The Secretary, Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 245101 - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed

7. The Under Secretary, Computer Section, NCTE, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shel

Zafar Marg (Near ITO), New Dellii - 110 002.

8. Computer cell (NRC).

Regional Directo



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता// ३ /८ दिनांक :- 01.12.2006

सचिव, श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नालॉजी, हापुड़

महोदय.

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-72666/2005 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2005 के अनुपालन में महामहिम कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 95/जी.एस. दिनांक 01.02.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के "परन्तुक" के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नालॉजी, हापुड़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बीoएडo पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन <u>दिनांक 01.07.200</u>5 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त किमयों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा 2. भूमि महाविद्यालय के नाम विधिवत राजस्वः अभिलेखों में अन्तरित करा लिया जायेगा।

शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005-2(166)/2002-5टी0सी0, दिनांक 16.11.2005 तथा शासनादेश 3. संख्या-5125/सत्तर-2-2005(166)/2002 टी0सी0, दिनांक 21.10.2005 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

महाविद्यालय द्वारा संस्थान के माध्य बाउन्ड्रीवाल का निर्माण तथा पृथक मुख्य द्वार का निर्माण करा लिया जायेगा तथा 4. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।

संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित 5. करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में 6. उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं 7. मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नालॉजी, हापुड़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बीoएडo पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन <u>दिनांक 01.07.2005</u> से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. 2.

सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 3.

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 4.

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 5.

कुलसचिव

राज्यपाल राचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-227132

संख्या--ई.स. 95 /जी.एस दिनांकः 01/02/2006

प्रेषक

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष संधिव उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

क्लसचिव. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरट ।

महोदय,

आपके पत्रांकः सम्बद्धता / १२२,१ दिनांक २५-०६-२००५ तथा माननीय उच्च न्यायालय संख्या-७२६६६ / २००५ में पारित आदेश दिनांक २८-११-२००५ के अनुपालन में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ की धारा–३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन श्री माधव कालेज आफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलोजी, हापुड़, गाजियाबाद को रनातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०एड० पाठ्यकम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित रववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नालिखित शर्ती के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र"बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष 9--

महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार शिक्षकों की नियुवित कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः राजस्व अभिलेखों में अन्तरित करा लिया जायेगा। 3-

शासनादेश संख्या-प्२६७ / सत्तर-२-२००५-२(१६६) / २००२-५ टी०सी० दिनांक १६-११-२००५ तथा शासनादेश संख्या—५१२५ / सत्तर—२--२००५(१६६) / २००२ टी०सी० दिनांक २१-१०-२००५ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा 8-

महाविद्यालय द्वारा संस्थान के माध्य बाउन्ड्रीवाल का निर्माण तथा पृथक मुख्य द्वार का निर्माण करा लिया जायेगा तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा। 4-

रांस्था राष्ट्रीय अध्याप्तक शिक्षा परिषद ब्वारा किर्णारित तनस्त मानका को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिभद जारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तार-२--२००३-१६ (६२)/२००२, दिनाक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा 19-निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—१६७३ के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियाँ *आगामी २८-०२-२००६ तक* पूर्ण कर लेगा।

भवदीय.

(हरी चरन प्रकाश) कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

राचिव, उच्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

बोत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिपद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६-ए, दिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर। प्रबन्धक / प्राचार्य, श्री माधव कालेज आफ एजूकेशन १०७ टक्नोलोजी, हापुड़, गाजियाबाद।

> चरन प्रकाश) कुलाधिपति के विशेष सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-3/UP-2405/ 28569

Code: APN04136

LETTER OF INTENT PRIOR TO RECOGNITION

ate: 2 SEP ?

Sub: Informing decision for grant of recognition or permission under Clause 7(11) of the NCTE Regulations, 2005 published on 13th Jan 2006 course.

In terms of Section 15 of the NCTE Act, 1993, the Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur, Distt. – Ghaziabad, UP had submitted an application (Code No. APNO4136) to the NRC of NCTE for grant of permission for additional intake in B.Ed. course of 1 year duration with an annual intake of 100 students at Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur, Distt. – Ghaziabad, UP

- 2. On the basis of the scrutiny of the documents submitted by the institution, input received fro the Visiting Team Report and videography, the NRC in its IInd Sitting of 121 meeting held on $16^{\rm th}$ $17^{\rm th}$ September , 2007, is satisfied that the above institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory as prescribed in the norms and standards and that it fulfils all such other conditions relating to infrastructural and instructional facilities required for proper functioning of the institution for a course in teacher education for **an annual intake of 100 students**.
- 3. However, as required under Para 7(11) of the NCTE Regulations, published on 13^{th} Jan 06, it is requested that appointment of qualified faculty members before the commencement of the academic session be made and a compliance report be sent so that formal unconditional order under section 15(3)(a) of the NCTE Act and Clause 7(12) of the said Regulation be issued.
- 4. Now, the institution shall undertake appointment of faculty/staff by a duly constituted selection committee and ensure selection of candidates possessing qualifications as prescribed under rules. (A duly constituted Selection Committee means "Selection Committee constituted as per the policy of the Central/State Government/Affiliating Body concerned whichever is applicable") along with an Affidavit on the prescribed format (format enclosed) on Rs. 100 stamp paper from the Management of the institution and Affidavit on Rs. 10 stamp paper from the staff appointed and staff list.
- 5. Attention of the institution concerned is also drawn to section 7(12) of NCTE Regulations dated 13th Jan 2006, which reads as "The Institution concerned, after appointing the requisite faculty/staff, shall put the information on its official website and also formally inform the Regional Committee concerned. The Regional Committee concerned shall then issue a formal Unconditional Recognition Order". Hence, the institutions shall host the details in the institution website and thereafter submit the details to NRC, NCTE.
- 6. The University is requested to submit the required information along with documentary proof duly certified by the concern authority to Northern Regional Committee, NCTE for its approval.

Contd.....02

कार्यालय : ए–46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर–302004 (राजस्थान) कार्यक्षेत्र : स्तर प्रदेश, स्तरांवत, दिल्ली, हरिवाणा, पंजाब, वण्डीगढ, हिमावत प्रदेश, राजस्थान

Phone No.: 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office: A-48, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan) Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte-in.org

Website: http://www.ncte-in.org

- 7. It may be noted that the compliance alongwith the details should be submitted before commencement of the academic session.
- 8. Admissions shall not be made until formal recognition order under Para, 7(12) of the Regulations dated 13th Jan 06 is issued by the Northern Regional Committee, NRC-NCTE, Jaipur.

By Order,

(Dr. O. V. S. Sikarwar) Regional Director

To.

The Manager,
Shri Madhav College of Education & Technology,
Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur,
Distt. – Ghaziabad, UP

Encl: Annexure: Affidavit, Annexure I & II.

Copy to:

- 1. The Registrar, C. C. S. University, Meerut, UP with the request that the examining body shall adhere Rules and Regulations of the NCTE and also to take further necessary action with reference to selection of the requisite faculty/staff etc. as per the NCTE Rules and Regulations before the commencement of the session.
- 2. Office order file/ Institution file.

Regional Director

00

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

कुलसचिव. ची0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 3° अक्टूनर, 2007

वेषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त शिषयक आपके पत्रांकःसम्बद्धता/1945, दिनांक 15-09-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय आधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन आधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माध्य कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, हापुड़ को बीठएड० पाठ्यक्रम में 100 छाजों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त गोणित मोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शतों के अधीन दिनांक 01-07-2006 से सम्बद्धता की सहस्र स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली ∕अध्यादेश में विभिन्न तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ती एवं मानकी की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था की प्रदान की गयी सम्बद्धता वागस लिये जाने की कार्यवाही निसमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरत। को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शती क्रा अनुपालन करेगी।

(इन्द्रदेव पटेल) अनु सनिव।

..21-

संख्या-4322(1) /सतार-2-2007-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूर्यनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेलित:-

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पश्. तिलक नगर, जयपुर।

(2) निजी ससित, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश की माठ उच्च शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।

(3) निरोशक, उच्न शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) क्षेत्रीय उत्त्व शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

(5) सचिव /प्रबन्धक, श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉर्जी, हापुड़ ।

(6) गार्ड फाइल ।

आजाः सं, (इन्द्रदेव पटेल) अनु सचिव।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



250

पत्रांक ः सम्बद्धता 2895

दिनांक : 22 नवस्वद, 2007

सचिव,

श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड़ (गाजियाबाद)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-4322/सत्तर-2-2007-2(18)/2004टी0सी0, दिनांक 30.10.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, ह्युपड़ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एंव इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शतों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपित जी के आदेशानुसार श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, ह्युपड़ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रतिलिपि :-

CHINTAPPIL 2 (21)

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

भवदीय,

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



P-68

पत्रांक : सम्बद्धता / ७ / ९ | दिनांक : स्वर्ध / २००८ / १० | १० |

सचिव.

श्री माधव कालिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर,मोदीनगर मार्ग, हापुड।

महोदय.

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—1125/सत्तर—2—2008—2 (18)/2004 टी०सी०, दिनांक 16.04.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,केशव नगर,मोदीनगर मार्ग,हापुड को बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006—2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :—

- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 2. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा—37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- 3. संस्था शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एंव इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपित जी के आदेशानुसार श्री माधव कालिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,केशव नगर,मोदीनगर मार्ग,हापुड को बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2006—2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रतिलिपि :-

सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

- 2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- डा० आई०आर०एस० सिन्धु, समन्वय्क बी०एड० प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

C.PUNIT AFFIL 2 (168)

संख्या-1125/सत्तर-2-2008-2(18)/2004दी०सी०

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

P-59

सेवा में.

कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुगाग-2

लखनऊ:दिनांक: (७ अप्रैल, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोद्य,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसम्बद्धता/2759, दिनांक 12-12-2007 एवं पत्रांकःसम्बद्धता/3560, दिनांक 22 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड़ को बीठएड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006-07 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

(2) संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय आधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

..2/-

- (5) प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय /संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविद्याएँ एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन /अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- यह आदेश लोक सभा विधान सभा के उप चुनाव, 2008 के लिए प्रभावी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर निर्गत किये जा रहे हैं।

मवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल) अनु सचिव।

संख्या-1125(1) /सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

- भि सचिव /प्रबन्धक, श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड़।
- (5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।

(6) - गार्ड फाइल। कार्य करियों के तार कार्य के उन्हों कर

आज्ञा स, (इन्द्रदेव पटेल) अनु सचिव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-7/UP-2405/Appeal/151 MEETING//2009//2/93

11 1 NOV 2009

ORDER

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 Shri Mahadev College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur- 245101, District- Ghaziabad, U.P., had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE, Jaipur for grant of recognition/permission for starting B.Ed Additional Intake of One year duration with an annual intake of 100 (One Hundred Only) students on 16.07.2007.

- 2. AND WHEREAS the original file of the institution as well as other documents and materials submitted by the institution along with VTR videography were duly considered by the NRC in its 121st 2nd Sitting Meeting held on 16th to 17th September 2007 the committee decided to issue Conditional Letter of Recognition to the institution and accordingly conditional recognition order was issued vide NCTE letter no.
- 3. AND WHEREAS the applicant institution has submitted representation to Northern Regional Committee, NCTE, Jaipur and the matter was placed before NRC in its 141st Meeting held on 22nd to 24th duration. Accordingly order was issued vide order no. F.NRC/NCTE/F73/UP-2405/141 dated 20.08.2009 to the NCTE, New Delhi. Under section 18 of the NCTE Act 1993 against the aforesaid order.
- 4. AND WHEREAS after perusal of locuments, memorandum of appeal, affidavit and after hearing oral arguments advanced during the hearing, the NCTE, New Delhi, reached the conclusion that there was adequate ground to accept the appeal, and accordingly remanded back the matter to NCTE NRC with the dated C3.13.2009.
- 5. AND WHEREAS the matter was again placed before the NRC NCTE in its 151st Meeting held on 20th to 21st October 2009 and the committee decided process the file as directed.
- 6. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants permission to Shri Mahadev College of Education Reconducting B.ED Additional Intake of Secondary (Level) of One year duration with an annual intake of 200 (100 Existing + 100 = 200)Students (Two Hundred only) students from the academic session the following conditions as per the claric cation from the NCTE HQtrs letter No. File No. 48-3(1)/2008/NCTE [No. 2007] in the commencement of the commencemen
 - I. The admissions of stridents shall be nized only after affiliation by the examining body shall be completed well before the cut off date prescribed by the examining body academic session 2009-2010, failing which the recognition will be effective from the
- II. Formal orders for recognition/permission will operate for 2009-2010 only if the University/Affiliating Body.
- 7. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
- 8. The institution shall comply κ 1 the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

कार्यालय : ए–46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर–302004 (राजस्थान) कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांबत, दिल्ली, हरियागा, पंजाब, वण्डीमढ़, हिमावत प्रदेश, राजस्थान

Office: A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan) Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

- The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government
- The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. In respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the 12.
- If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the accognition. as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
- The institution shall maintain place its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -Copy of the Application Form
 - Land and Building Particulars
 - 'taf' Profile
 - Recognition letter
 - Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.
- In case if the land is in the name of the Society, you must transfer the land within six month in the name of the institution falling to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate the respective Regional Committee along with the new land document within the stipulated time.

(Dr. K.S. Yadav) Regional Director Tel. No. 0141-2623501

The Manager to Govt. of India Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C.

The Principal, Shri Mahadev College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar (3)(4)

Road, Hapur- 245101, District- Gnaziabad, U.P.
The Secretary Education, Governor Pradesh, Secretary Education, Governor Pradesh, Secretary Education, Governor Pradesh, Directorate, J.P.
The Registrary C.C.S. University, Meerut, U.P.
The Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, (5)

The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar (6)

(7)(8)

The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002. With reference to appeal order No. F.NO. 89-

(Dr. K.S. Yadav) Regional Director

उत्तर क्षेत्रीय समिति ोय अध्यापक शिक्षा परिषद्

भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-1588 & UP-2405/2015 13/045

8 DEC ZUIS

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations. 2014 on

AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/F-3/UP-1588/1797-1805 dated 25.05.2005 with an annual intake of 100 seats with effect from 21st May, 2005 and B.Ed. (Add.) Intake vide order No. F. NRC/NCTE/F-7/UP-2405/Appeal/151 meeting/2009/12192-12199 dated 11.11.2009 with an annual intake of 200 (100 existing + 100 = 200) seats.

AND WHEREAS, the institution Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for four basic units in B.Ed., which require additional facilities.

AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have four basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure. (c) additional funds as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by May (i)

The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (Bt²) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before (ii) May 30th, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available. otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

The institution shall identifical selected the faculty staff and obtained the approval from the affiliating best for the same latest by 29th February, 2016 and same be conveyed to the Northern Regional Committee by that date.

The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check (iii) adherence to these condition after May 30th, 2016. If it is found by the Regional Committee that the Institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year

In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCT. Act Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case (V) the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101. State - Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 200 for four casic units at 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 29,02,2016.

Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body Conversity/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite_teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCIE Regulations. 2014 by the sourcemed institution before grant of affiliation to an institution. Cont. 2

कार्यालय: चौथी मंजिल, जीवन निधी-॥, एल.आई.सी. बिल्डिग, अम्बेडकर सर्किल

भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजांब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajastha Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandon

E-mail.: nrc@ncte-india.org,

Website: www.ncte-india.org



- The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.

Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale (a) (b) of pay and photograph.

Name of faculty members who left of joined during the last quarter.

Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the (c) qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc. (d)

Fee charged from students. (0)

Available infrastructural facilities. (1)

Facilities added during the last quarter. Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter. (8)

The affidavit with enclosure submitted along with application. (h) (i)

The institution shall be free to post additional relevant information, if is so desires.

Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for witodraval et (i) (k) recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act. Rules. Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

Regional Dir

The Manager to Govt. of India, Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

The Principal, Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur 245101, State – Uttar Pradesh.

The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. 2. India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001

The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P. 3.

The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P. 4.

The Registrar, Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200005, Uttar Pradesh.

The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg. 6. New Delhi- 110 002.

Office order file/ Institution file 7.

Regional Director

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१०१५ दिनांक : 02'6'223

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम्, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम्, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रोड़ हापुड़ को कला, वाणिज्य व विज्ञान संकायान्तर्गत रनातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, राष्ट्र धापुष्ट का करा, वालाव्य व विशान स्वरावास्ताच स्वातक स्तर पर बाउए (हिन्दा, अंग्रजा, संस्कृत, गृहावज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल), बीठकामठ एवं बीठएसठसीठ (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक—एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उठप्रठ राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा—37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को प्राप्ति कर दिया ज्याराम अध्यादेश स्वराप्ति की स्वराप्ति स

पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित 02. किमयों यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय 03. के कुलंसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पुरी कर रहा है।

संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा 05. निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ंमाननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 02.08..2022 के आलोक में **श्री माधव कालेज ऑफ एजूके**शन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रींड़ हापुड़ को कला, वाणिज्य व विज्ञान संकायान्तर्गत रनातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल), बीठकामठ एवं बीठएसठसीठ (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक–एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

04.

अचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रोड़ हापूड।

सहायक कुलसचिव (लेखा) 'को सूवनार्थ । 3.

प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 4.

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 5.

6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने 7. का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेत्।

SAM 2 (704)